कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर–492002)

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर दिनांक 11 जून, 2026

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आब./रा.उ.द./2026/374 दिनांक 11.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार :–

(I) कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकान कुरूद जिला धमतरी में आकस्मिक निरीक्षण दौरान प्रथम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् विक्रयकर्ता श्री कौशल कुमार सोनी s/o श्री रामाधार सोनी द्वारा 18 नग पाव देशी मदिरा सवा शेरा प्लेन (प्रत्येक पाव की दर 80/–रूपये) शासन निर्धारित विक्रय दर 1440/–रूपये के स्थान पर 1500/–रूपये में अर्थात 60/–रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता श्री कौशल कुमार सोनी s/o श्री रामाधार सोनी के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत् राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी–8 क्रमांक 71/2026 दिनांक 09/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

(II) कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकान कुरूद जिला धमतरी में आकस्मिक निरीक्षण दौरान द्वितीय छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् विक्रयकर्ता श्री आत्मा राम निर्मलकर s/o श्री दुकलू राम द्वारा 18 नग पाव देशी मदिरा सवा शेरा प्लेन (प्रत्येक पाव की दर 80/–रूपये) शासन निर्धारित विक्रय दर 1440/–रूपये के स्थान पर 1500/–रूपये में अर्थात 60/–रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता श्री आत्मा राम निर्मलकर s/o श्री दुकलू राम के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत् राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी–8 क्रमांक 72/2026 दिनांक 09/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण **श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक** वृत्त प्रभारी कुरूद के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

3/ अतः **श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक** को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4/ निलंबन काल में **श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक** का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

11/6/2026

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / 4690 नवा रायपुर दिनांक 11 जून, 2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला–धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला–कोषालय, जिला–धमतरी / रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–धमतरी (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

11/6/26

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़